कानूनी जागरूकता शृंखला - 28

मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग

राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, इन्दौर (म.प्र.)

कानूनी जागरूकता शृंखला - 28

मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग

- कोड नं. : 004 (III)
- प्रस्तुति : अभिमन्यु जोशी, नियति सप्रे
- सम्पादन : तारा जायसवाल
- चित्रांकन : इस्माइल लहरी
- संस्करण : जनवरी 2007
- प्रतियाँ : 1000
- मूल्य : रु. 11.00

© प्रकाशकाधीन

- प्रकाशक : **राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा,**
  भारतीय ग्रामीण महिला संघ इन्दौर (म.प्र.)
  महालक्ष्मी नगर, सेक्टर आर, इन्दौर 452 010
  फोन : 2551917, 2574104 फैक्स - 0731-2551573
  E-mail: srcindore@dataone.in
  literacy@satyam.net.in
  Web : www.srcindore.org

- मुद्रक : **मेहता ग्राफिक्स एण्ड प्रिन्टर्स**
  तम्बूरी बाजार, इन्दौर
  फोन : 2455596

आमुख

जनसामान्य के हित के लिए शासन द्वारा अनेक कल्याणकारी कानून बनाए गए हैं। प्राय: कानूनों की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण लोग इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। नवसाक्षरों को सरल भाषा में कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से महत्वपूर्ण कानूनों पर पुस्तिकाओं की एक शृंखला प्रकाशित की जा रही है।

इस पुस्तिका में **मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग** की जानकारी सरल भाषा में अभिभाषक **श्री अभिमन्यु जोशी** एवं **नियति सप्रे** द्वारा प्रस्तुत की गई है। चित्रांकन **श्री इस्माइल लहरी** द्वारा किया गया है। केन्द्र इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता है।

आशा है कि यह पुस्तिका नवसाक्षरों को मानव अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायक होगी। पुस्तिका के सम्बन्ध में सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा।

कुन्दा सुपेकर
निदेशक
राज्य संसाधन केन्द्र
प्रौढ़ शिक्षा, इन्दौर (म.प्र.)

रामू की पिटाई

रामू एक गरीब मजदूर था। वह राजपुर में अपनी पत्नी सीता एवं पुत्र गोलू के साथ रहता था। मेहनत-मजदूरी करके रामू अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। रामू गरीब था, किन्तु जहाँ भी अन्याय होता वहाँ उसका विरोध करता था।

एक दिन गाँव के पटेल ने रामू को बुलवाया और कहा – "रामू, सुना है तुम शहर में मेहनत-मजदूरी करने जाते हो। आने में तुम्हारा समय खराब हो जाता है। इससे अच्छा है, तुम हमारे यहाँ पर ही काम करो।"

यह सुनकर रामू खुश हो गया और बोला – "जरूर करूँगा मालिक, आप काम बताओ।"

पटेल ने रामू को काम बताया। रामू को उसकी मजदूरी बहुत कम लगी। रामू ने कहा – "मालिक, काम बहुत ज्यादा है और मजदूरी बहुत कम है। इससे मेरे परिवार का गुजारा होना मुश्किल है। यदि आप पैसे बढ़ा दें तो मैं यह काम करने को तैयार हूँ।"

रामू की बात सुनकर पटेल को बहुत गुस्सा आया। उसने रामू को जातिसूचक गालियाँ देते हुए कहा – "तू अपने आपको समझता क्या है ?" फिर उसने रामू को अपमानित करते हुए वहाँ से भगा दिया।

एक दिन गाँव के मंदिर में चोरी हो गई। गाँव के सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। गाँव के पटेल भी वहाँ पहुँचे। पटेल को लगा रामू से बदला लेने का यह अच्छा अवसर है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने पटेल से भी पूछा – "आपको किसी पर शक है क्या ?"

पटेल ने कहा – "मुझे तो रामू पर शक है। यह चोरी जरूर उसने ही की होगी। इसकी थाने में अच्छी पिटाई करो, यह सब उगल देगा।" फिर पटेल ने धीरे से कहा – "मैं तुम्हारी सेवा कर दूँगा।"

सेवा का ख्याल आते ही दरोगा ने रामू को घर से बुलवाया और उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की।

रामू ने कहा – "माई-बाप मैं क्यों चोरी करूँगा ? मैं तो रोज मजदूरी करता हूँ। ईमानदारी से काम करके परिवार का पेट पालता हूँ। मैंने चोरी नहीं की है। मुझे फँसाया जा रहा है।"

दरोगा रामू की बात कहाँ मानने वाला था। उसे तो पटेल ने रुपये पहले ही दे दिए थे। दरोगा ने रामू की जमकर पिटाई की। उसके हाथ-पैर तोड़ दिए। रामू गिड़गिड़ाता रहा, मगर दरोगा ने उसकी एक न सुनी। वह रातभर पीड़ा से कराहता रहा।

सीता ने उसकी ऐसी हालत देखी तो रोने लगी। उसके पास रामू के इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। रामू के हाथ-पैर काम नहीं कर रहे थे। वह दिनभर घर पर ही पड़ा रहता था। मजदूरी करने भी नहीं जा सकता था। अब सीता और गोलू काम करने जाते थे। गोलू का स्कूल जाना भी बंद हो गया। पहले सीता रोज साक्षरता केन्द्र में पढ़ने जाती थी। उसने वहाँ जाना भी बंद कर दिया। वह चुपचाप रहने लगी थी।

एक दिन मनोरमा बहनजी उसके घर आईं। उन्होंने पूछा - "क्या बात है सीता ? आजकल तुम साक्षरता केन्द्र पर नहीं आ रही हो ?"

उनके प्रश्न पर सीता फूट-फूटकर रोने लगी। उसने सारी बात मनोरमा बहनजी को बताई। मनोरमा बहनजी ने कहा - "तुम चिंता मत करो। मेरे पति वकील हैं। मैं उनसे इस बारे में बात करूँगी।"

सीता ने कहा – "नहीं बहनजी, हम इलाज तक तो करवा नहीं पा रहे, मुकदमा कैसे लड़ेंगे।"

मनोरमा बहनजी ने कहा – "उसकी तुम फिकर मत करो। मैं कल तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हें क्या करना है।"

मनोरमा बहनजी ने अपने पति को रामू के बारे में बताया। वकील साहब ने कहा – "यह मानव अधिकार के उल्लंघन का केस है। इसकी

शिकायत मानव अधिकार आयोग को करेंगे और रामू को न्याय दिलवाएँगे। तुम रामू और उसकी पत्नी को लेकर आना, हम कार्यवाही करेंगे।"

दूसरे दिन मनोरमा बहनजी ने सीता को कहा - "तुम्हें और रामू को वकील साहब ने बुलाया है।" सीता किसी तरह रामू को वकील साहब के पास लेकर पहुँची। वकील साहब ने कहा - "रामू तुम्हारे साथ पटेल ने बड़ा दुर्व्यव्हार किया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आयोग का गठन हुआ है जिसे मानव अधिकार आयोग कहते हैं। आयोग को तुम अपनी शिकायत लिखकर भिजवा दो। वहाँ इस बात की जाँच होगी। आयोग तुम्हें न्याय दिलवाएगा।"

रामू ने मानव अधिकार आयोग में पटेल की शिकायत की। उसे न्याय मिला। पटेल को जेल की सजा मिली। रामू को उसके डाक्टरी इलाज का खर्चा भी पटेल से दिलवाया गया।

मानव अधिकार

- सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं। अधिकार तथा मर्यादा में समान हैं। इसलिए उन्हें एक-दूसरे के साथ भाई जैसा व्यवहार रखना चाहिए।
- प्रत्येक व्यक्ति को जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या सामाजिक उत्पत्ति, जन्म या किसी दूसरे प्रकार के भेदभाव के बिना सभी अधिकारों और स्वतंत्रता की पात्रता है। इसके अलावा किसी स्थान या देश के साथ जिसका वह नागरिक है, राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है।
- किसी भी व्यक्ति को गुलामी में नहीं रखा जा सकता।
- किसी व्यक्ति को क्रूर या अमानवीय दंड नहीं दिया जाएगा। न ही उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा पाने का अधिकार है। बगैर

किसी भेदभाव के कानून के सामने सभी समान हैं। किसी भी व्यक्ति की मनमाने तौर पर गिरफ्तारी, कैद या निष्कासन नहीं किया जा सकता।

- किसी भी व्यक्ति के पारिवारिक व शादीशुदा जीवन तथा पत्र-व्यवहार की गोपनीयता में दखल नहीं किया जा सकता। उसकी प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुँचाई जा सकती है।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा में रहने और उसे छोड़ने का अधिकार है। साथ ही दूसरे देश में जाने और लौटने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक कष्टों से बचने के लिए दूसरे देश में शरण लेने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है। उसे मनमाने तरीके से राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जा सकता।

- वयस्क महिला और पुरुष को जाति, धर्म या राष्ट्रीयता की बाधा के बिना विवाह करने का अधिकार है।

- प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं या दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और अपने धर्म को बदलने की भी स्वतंत्रता है।
- प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है।
- प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन में जाने एवं चुनाव लड़ने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, आजीविका के लिए व्यवसाय चुनने व रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है।

- प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम एवं अवकाश का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

ऐसे सभी कार्य मानव अधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं जो ऊपर लिखे अधिकारों को प्राप्त करने में बाधक हों।

मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार का अर्थ उन सभी अधिकारों से है जो मनुष्य होने के नाते व्यक्ति के विकास और कल्याण के लिए जरूरी है। इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसे मानव अधिकार आयोग कहते हैं।

उद्देश्य

प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर न्याय मिलना चाहिए। ये मनुष्य के स्वाभाविक अधिकार हैं। उसे ये अधिकार दिलाना ही मानव अधिकार आयोग का प्रमुख उद्देश्य है।

संविधान व कानून द्वारा सभी नागरिकों को हर प्रकार की सुरक्षा दी गई है। फिर भी निर्बल (कमजोर) व्यक्तियों के मानव अधिकारों का सामाजिक और आर्थिक रूप से ताकतवर (सबल) व्यक्तियों द्वारा हनन होता रहता है । कमजोर व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों के उपयोग को सुनिश्चित कराने और इन अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए एक आयोग गठन करने की जरूरत महसूस हुई। इस तरह मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई।

आयोग का गठन

भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1994 को राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश के द्वारा की गई।

- मानव अधिकार आयोग पीड़ित व्यक्तियों को आसानी से न्याय दिलवाता है। मानव अधिकार आयोग में कुल आठ सदस्य होते हैं। इनमें एक अध्यक्ष तथा सात सदस्य होते हैं।
- आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं।
- दो सदस्य उच्च न्यायालय के वर्तमान या रिटायर न्यायाधीश होते हैं।
- दो सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें मानव अधिकारों का पूरा अनुभव और ज्ञान हो।
- तीन सदस्यों में - एक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होता है।
- आयोग का मुख्य ऑफिस दिल्ली में है। आयोग अपने कामों को सेक्रेटरी जनरल द्वारा करता है। वे आयोग के प्रमुख

प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आयोग का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।

आयोग के कार्य

आयोग के मुख्य कार्य निम्न हैं :-

तथ्यों एवं कारणों का निरीक्षण - मानव अधिकार आयोग उन तथ्यों एवं कारणों का निरीक्षण करता है जो मानव अधिकारों के उपयोग में बाधा डालते हैं।

शिकायतों की जाँच - आयोग पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा की गई मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत की जाँच करता है। यह शिकायत पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा आदि विभागों तथा श्रमिक, महिला व बच्चों या विकलांगों आदि से सम्बन्धित हो सकती है।

कानून द्वारा दिए गए मानव अधिकारों को लागू कराना - विधान द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार संविधान में दिए गए हैं। इन्हें उचित ढंग से लागू कराना तथा इसके उल्लंघन के दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही करना भी मानव अधिकार आयोग का कार्य है।

मानव अधिकार के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा देना - मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए देश

में अनेक संगठन काम कर रहे हैं। कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी हैं। जैसे -रेडक्रॉस सोसायटी। ऐसी संस्थाओं को सहयोग देना भी मानव अधिकार आयोग का कार्य है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं व बच्चों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता देना, उनके आर्थिक हितों की रक्षा करना, उन्हें जागरूक बनाना इन वर्गों के हितों व कल्याण के लिए बनाई गई विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देना। उनसे लाभ लेने में सहयोग करना भी आयोग के कार्य हैं।

अधिकारों का अनुपालन - हिरासत में होने वाली मौतों तथा बलात्कार आदि की घटनाओं की जानकारी चौबीस घंटे के अंदर आयोग को मजिस्ट्रेटों तथा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को भेजना जरूरी है।

अदालत में लंबित मामलों में हस्तक्षेप - मानव अधिकार आयोग अदालत में चल रहे मानव अधिकार उल्लंघन संबंधी किसी भी मामले की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है।

जेल आदि संस्थाओं की स्थिति को देखना - आयोग राज्य सरकार को सूचित कर कोई भी जेल या अन्य सुधार संस्था की स्थिति को देख सकता है और उस पर अपनी राय भी दे सकता है।

रक्षा उपायों की जाँच करना - संविधान में दिए गए मानव अधिकारों की रक्षा के लिए लागू या किसी अन्य कानून द्वारा दिए गए रक्षा उपायों को लागू करने और उन्हें प्रभावी तरीके से करवाने के लिए उचित कार्यवाही करना आयोग का कार्य है।

- आयोग मानव अधिकारों के उपयोग की रुकावट को दूर करने का प्रयत्न करता है।
- मानव अधिकारों का प्रचार-प्रसार करना भी आयोग का कार्य है।

आवेदन की प्रक्रिया

शिकायतकर्ता एक साधारण कागज पर अपनी समस्या (शिकायत) लिखकर या टाइप करवाकर मानव अधिकार आयोग के सामने प्रस्तुत कर सकता है। इस आवेदन-पत्र में जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही हो उस व्यक्ति/संस्था/ कार्यालय का नाम, पता, टेलीफोन नम्बर आदि की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। उसको संबंधित व्यक्ति/विभाग/संस्था से क्या सहायता चाहिए - का खुलासा साफ शब्दों में किया जाना चाहिए।

मानव अधिकार आयोग का पता -

मानव अधिकार आयोग
सरदार पटेल भवन, प्रथम तल
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग
अध्यक्ष
बंगला नं. 3, श्यामला हिल्स,
भोपाल (म.प्र.) 462 002

ठेकेदार की मनमानी

कमली, रमिया के घर उसे बुलाने गई। उसने देखा - आज रमिया काम पर जाने के लिए तैयार नहीं है। कल भी उसने मना कर दिया था। जब चलने की बहुत जिद की तब पेट दर्द का बहाना बना लिया था।

कमली - "रमिया चल देर हो रही है, समय पर नहीं पहुँचे तो ठेकेदार डाँट लगाएगा।"

रमिया - "नहीं कमली तू जा। मैं आज भी काम पर नहीं चलूँगी।"

कमली - "क्यों ?"

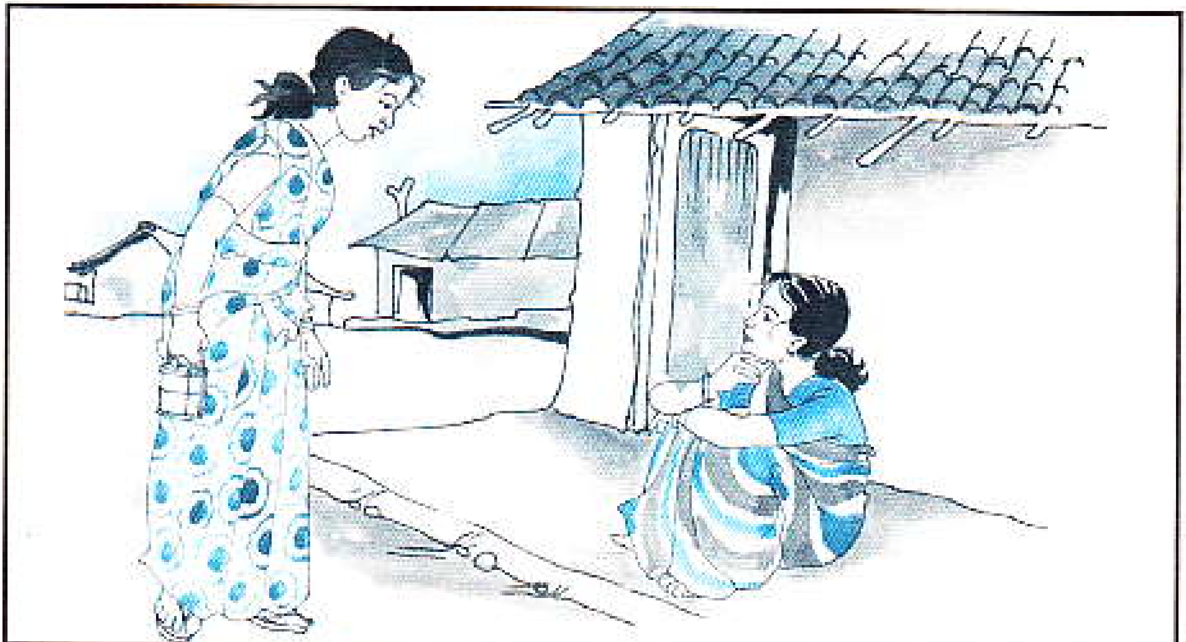

रमिया – "कहा ना, मेरा मन नहीं कर रहा।"

कमली को काम पर जाने की जल्दी थी। इसलिए वह चली गई। पर कमली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है ? खुद रमिया ने ही उसे यह काम दिलवाया था। रमिया को अभी पैसों की बहुत जरूरत भी है। वह अकेली नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसे भी ले गई। पर अब उसे क्या हो गया ? कमली सोच में डूबी थी। काम में उसका मन नहीं लग रहा था।

तभी ठेकेदार जोर से चिल्लाया – "ए कमली, जल्दी-जल्दी काम कर, नहीं तो मजदूरी नहीं दूँगा"।

"कर तो रही हूँ और कितनी जल्दी करूँ ?" कमली झल्ला गई।

"ज्यादा जबान मत चला। काम से निकाल दूँगा। और हाँ, वो तेरी सहेली नहीं दिख रही।" ठेकेदार ने पूछा।

"वह आज काम पर नहीं आई है" – कमली ने जवाब दिया।

"क्यों ? कल भी नहीं आई थी। उसे पैसों की जरूरत नहीं है क्या ?" ठेकेदार ने पूछा।

"मुझे क्या मालूम" - कमली ने रूखेपन से कहा।

"उसे बता देना । कल यदि वह काम पर नहीं आई तो उसे काम पर नहीं रखूँगा। राजकुमारी बनी बैठी है घर पर।" ठेकेदार ने रौब से कहा।

कमली - "मैं कुछ नहीं बताऊँगी, उसको आना होगा तो खुद आ जाएगी।"

ठेकेदार - "मैं देख रहा हूँ कमली, तू बहुत बोलने लगी है। तुझे भी ठिकाने लगा दूँगा मैं। अपनी सहेली से पूछना जरा।"

कमली चुपचाप काम करती रही। सोचती रही कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है।

शाम को घर जाते वक्त वह रमिया के घर चली गई। वहाँ रमिया चबूतरे पर बैठी थी। बहुत उदास दिख रही थी। कमली ने उसे ठेकेदार से हुई सारी बात सुना दी। तब रमिया ने घबराते हुए धीमी आवाज में बताया – "परसों मैं काम कर रही थी तभी ठेकेदार मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। फिर हाथ पकड़कर एक तरफ खींच लिया। मैं चिल्लाने लगी तो उसने मेरा मुँह दबा दिया। वो तो भला हो मंगलू का जो उसी समय वहाँ से निकला। नहीं तो पता नहीं वह क्या करता।" रमिया ने एक ही साँस में सब कुछ कह डाला। वह बताते हुए रोने भी लगी।

कमली ने कहा – "तूने फिर किसी को बताया क्यों नहीं ?"

"किसको बताती ? कौन मेरी सुनता ? बाबू तो खटिया पर बीमार पड़े हैं। अम्मा क्या कर लेंगी ? ठेकेदार की शिकायत की तो वह मुझे और भी परेशान करेगा। इसलिए मैं तो अब काम पर नहीं जाने वाली। घर में ही बैठी रहूँगी। तू भी उससे बचकर ही रहना कमली" - रमिया ने कहा।

कमली ने भी घबराए स्वर में कहा - "तो फिर मैं भी कल से काम पर नहीं जाऊँगी। आज वह मुझे भी धमका रहा था पर हम काम पर नहीं जाएँगी तो हमें पैसा भी नहीं मिलेगा। सोचा था - थोड़ा-सा पैसा जमा हो जाएगा तो माँ का इलाज भी हो जाएगा और घर की छत भी सुधरवा लेंगे। पर उस ठेकेदार की बुरी नीयत के कारण काम पर भी तो नहीं जा सकते।"

कमली और रमिया की तरह कई महिलाएँ ऐसी हैं जो मजदूरी, कारखाने या ऑफिस में नौकरी करती हैं। वे काम करने की जगह पर ठेकेदार, सुपरवाइजर, बॉस या अन्य किसी भी पुरुष के गलत व्यवहार का शिकार होती हैं या फिर उनसे डरकर घर बैठ जाती हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे शिकायत करें तो उनकी शिकायत कौन सुनेगा ? लेकिन अब राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हो चुकी है जो घर-बाहर अत्याचार, शोषण और यौन उत्पीड़न से महिलाओं को न्याय दिलाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। ये अधिकार उनके विकास और कल्याण के लिए जरूरी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई।

उद्देश्य

अत्याचार, शोषण एवं यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं को उचित न्याय दिलाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा देना इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है।

- केन्द्र अथवा राज्य शासन को महिलाओं की दशा सुधारने के उपायों को प्रभावशाली बनाने के बारे में सुझाव देना।
- संविधान या महिलाओं से संबंधित किसी अन्य कानून के लागू न करने के मामले को अधिकारियों के पास पहुँचाना।
- महिलाओं से जुड़े मामलों पर ध्यान देना। उनको सक्षम अधिकारी के पास ले जाना।

- महिलाओं के संरक्षण, समानता तथा विकास के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करना।
- महिलाओं के साथ असमानता और अत्याचार से पैदा हुई समस्याओं अथवा परिस्थिति के बारे में विशेष अध्ययन या जाँच करना। उनके कारणों का पता लगाना। उन कारणों को दूर करने के सुझाव देना।
- महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु योजनाओं में सहभागिता तथा सुझाव देना।
- महिला अत्याचार से संबंधित रिपोर्ट जुटाना। पीड़ित महिला को न्याय दिलाना। सरकार को महिला कल्याण और विकास के बारे में उचित जानकारी देना।
- महिलाओं में समानता स्थापित करना। शासन की नीति के अनुसार निर्णय, दिशा-निर्देश जो महिलाओं की मदद के लिए बने हैं। उन्हें लागू करने के लिए सक्षम अधिकारी से संपर्क करना।

- रिमांड होम, महिला संस्थान अथवा अन्य स्थान जहाँ महिलाओं को कैदी के रूप में रखा जाता है वहाँ का निरीक्षण करना। आवश्यक हो तो कार्यवाही के लिए अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना।
- महिलाओं में कानून के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना। महिलाओं के कल्याण-कानूनों का प्रचार-प्रसार करना।
- महिलाओं से संबंधित मामलों की जाँच करते समय न्यायालय की तरह किसी भी गवाह को बुलाकर पूछताछ करना।
- शपथ-पत्र पर गवाही प्राप्त करना।
- आयोग के सामने की गई प्रत्येक कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही समझी जाती है। वह किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने का आदेश दे सकता है।

सभी प्रकार के मामले चाहे वे कामकाजी महिला के हों या घरेलू हिंसा के, महिला आयोग में आ सकते हैं।

शिकायत कैसे करें

आयोग के सामने पीड़ित महिला द्वारा आवेदन करना आसान है। महिला अपना नाम व पूरा पता और अपनी समस्या लिखकर पत्र द्वारा भेज सकती है। महिला स्वयं जाकर भी अपनी समस्या बता सकती है। शिकायत का रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) करके उसे कानून के सलाहकारों के पास उचित मत और टिप्पणी के लिए भेजा जाता है। संबंधित विभाग या ऑफिस से जानकारी प्राप्त की जाती है। उसके बाद गवाह, शपथ-पत्र और दस्तावेज के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

यदि कोई मामला पहले से न्यायालय में चल रहा है, तो उस मामले की जाँच आयोग द्वारा नहीं की जाती है। प्रत्येक राज्य में राज्य महिला आयोग का गठन भी किया जाता है।

राज्य महिला आयोग का पता

मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग
विधायक आवास,
भोपाल (म.प्र.)

राष्ट्रीय महिला आयोग का पता

राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली - 110 002

कानूनी जागरूकता सम्बन्धी हमारे प्रकाशन

• मजदूरी कानून	कानून से संबंधित जानकारी
• हिन्दू विवाह कानून	कानून से संबंधित जानकारी
• भरण - पोषण कानून	कानून से संबंधित जानकारी
• हिन्दू उत्तराधिकार कानून	कानून से संबंधित जानकारी
• हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य	नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों से संबंधित जानकारी
• फौजदारी कानून	फौजदारी कानून की जानकारी
• बालश्रम कानून	बालश्रम कानून की जानकारी
• उपभोक्ता संरक्षण कानून	उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी
• साहूकारी अधिनियम	साहूकारी अधिनियम की जानकारी
• बंधुआ मजदूरी कानून	बंधुआ मजदूरी कानून की जानकारी
• कारखाना अधिनियम	कारखाना अधिनियम की जानकारी
• लिंग परीक्षण अधिनियम	लिंग परीक्षण अधिनियम
• समान वेतन अधिनियम	समान वेतन कानून
• न्याय की राह	बलात्कार कानून
• अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून	अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून
• मोटरयान अधिनियम	मोटरयान अधिनियम
• हमारे जंगल-हमारी धरोहर	कारखाना अधिनियम की जानकारी
• नि:शुल्क विधिक सहायता	नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी
• मुस्लिम विवाह कानून	कानून से संबंधित जानकारी
• कृषि उपज मंडी अधिनियम	कानून से संबंधित जानकारी
• अनैतिक उपज मंडी अधिनियम	कानून से संबंधित जानकारी
• भारतीय ईसाई विवाह कानून	कानून से संबंधित जानकारी
• नोटरी के कार्य	कानून से संबंधित जानकारी
• मुख्तियारनामा	मुख्तियारनामा तैयार करने की विधि

प्रकाशक

राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा

भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर (म.प्र.)

महालक्ष्मी नगर, सेक्टर आर, इन्दौर 452 010 (म.प्र.)

फोन : 2551917, 2574104 फैक्स - 0731-2551573

मुद्रक : मेहता ग्राफिक्स एण्ड प्रिन्टर्स, खजूरी बाजार, इन्दौर फोन : 2455596